


कार्यालय ज्ञाप

विषय:-सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किया जाना।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1332/xxvii(3)मा/2004 दिनांक 02 अगस्त, 2004 द्वारा सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-3 के नियम-38(1) परिशिष्ट-12 में उल्लिखित सूची के अनुसार मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के अनुसार अनुमन्य किया गया है।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-700/xxvii(7)30(5)/2013 दिनांक 16 सितम्बर, 2013 द्वारा वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया है। वाहन भत्ते की उक्त दरें वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 नियम-82 परिशिष्ट-8 में उल्लिखित वाहन भत्तों की सूची के अनुसार अनुमन्य किया गया है।

अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपवादस्वरूप, जहां स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) अनुमन्य है, वहां फील्ड कर्मचारियों को वर्तमान में अनुमन्य स्थायी मासिक भत्ता के स्थान पर वाहन भत्ता रू0 1200/- प्रतिमाह माह अक्टूबर, 2013 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

  
(राकेश शर्मा)


अपर मुख्य सचिव।

संख्या 745 (1)/XXVII(7)27(20)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

  
(एल0एच0मन्त)

अपर सचिव।